नईदुनिया

संपादकीय

हॉकी में चैंपियनों जैसा खेल

चेन्नई *में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय जांबाजों ने आखिरकार ट्रॉफी पर कब्जा कर ही लिया। वैसे तो पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम विजेता की तरह खेली और उसने सात में से छह मैच जीते और एक ड्रॉ कराया। हालांकि फाइनल में पहले हॉफ में वह मलेशिया से पिछड़ती नजर आई। लेकिन आखिरी समय में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने हमले में पैनापन दिखाया और मलेशिया को हरा चैंपियंस ट्रॉफी भारत की झोली में डाली। कह सकते हैं कि भारतीय टीम बाजी पलटते हुए चैंपियन बनी। इस शानदार खेल के बूते ही भारत चौथी बार चैंपियन बन सका। इससे पहले भारत 2011, 2016 और 2018 में एशियाई चैंपियन रह चुका है। मैच में विजयी गोल दागकर आकाशदीप सिंह ने दुनिया को बता दिया कि भारतीय हॉकी का आकाश विस्तृत है। दरअसल, खेल में पैनापन लाकर ही भारतीय खिलाड़ियों ने हाफ टाइम तक 3-1 की बढ़त लेने वाली मलेशिया टीम को मैच के आखिरी क्षणों में बचाव की स्थिति में ला दिया। टीम प्रबंधन विचार करे कि मैच के आखिरी क्षणों में भारतीय टीम जिस लय में दिखी, वह पहले हाफ में क्यों नजर नहीं आया। बहरहाल, अंतिम मैच में मलेशिया द्वारा दी गई चुनौती भारतीय टीम के लिये सबक जैसी साबित होगी। वहीं एशियाई खेलों की तैयारी में भारतीय टीम को कड़े अभ्यास की भी जरूरत बताती है। टीम को अपने खेल में आक्रामक तेवर दिखाने होंगे। हर मौके को गोल में बदलने का हुनर विकसित करना होगा।*

नि:संदेह, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से भारतीय टीम का मनोबल बढ़ा है। यह जज्बा अगले माह चीन में होने वाले एशियाई खेलों के लिये हौसला बढ़ाने वाला होगा। उल्लेखनीय है कि एशियाई खेलों में वही टीमें खेलेंगी, जिन्हें हराकर भारत ने एशियाई चैंपियनशिप जीती है। कह सकते हैं कि हमने एशियाई खेलों के लिये अपने एक स्वर्ण पदक पर पक्की दावेदारी कर दी है। महत्वपूर्ण यह भी कि यदि भारतीय टीम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत लेती है तो वर्ष 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में खेलने के लिये भारतीय हॉकी टीम को सीधा टिकट हासिल हो जायेगा। ऐसे में भारतीय हॉकी टीम प्रबंधन को टीम की कमजोरियों पर विशेष ध्यान देना होगा। उन देशों की टीमों के खिलाफ अपना खेल मजबूत करना होगा, जिनके खिलाफ टूर्नामेंट में खेलने में भारतीय खिलाड़ियों को दिक्कत हुई। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को वह हुनर विकसित करना होगा, जो मैच के दौरान मिले अवसरों को जीत में बदलने में कारगर हो। खासकर पेनल्टी कॉर्नरों को गोल में बदलने की कला में पारंगत होना होगा। साथ ही दबाव में बेहतर खेलने का मनोवैज्ञानिक गुण भी टीम में होना चाहिए। जिसकी कमी इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहले हाफ में मलेशिया की युवा टीम के साथ खेलने के दौरान महसूस की गई। यदि भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने मैच के आखिरी मिनटों में जीत वाला दमखम न दिखाया होता, तो भारत के लिये मुश्किल खड़ी हो सकती थी। विश्व में चौथी रैंकिंग वाली भारतीय टीम को नंबर एक का तमगा हासिल करने के लिये अभी और कड़ी मेहनत की जरूरत है।

इस बार इसलिए अहम है 15 अगस्त

मुकुंद

लंबे कालखंड के बाद 15 अगस्त, 1947 को भारत में आजादी का सूरज उगा था। तब से हम हर साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास है। वह इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मार्च, 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया था। उसका समापन इस बार होगा। इसके साथ 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के लिए देश को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अमृत काल में प्रवेश कराया जाएगा। इस साल नई दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए अनूठी पहल की गई हैं। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष बड़ी संख्या में अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से समारोह का नेतृत्व करेंगे।

राष्ट्रीय पर्व के इस समारोह को देखने के लिए देश भर से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1,800 लोगों को विशिष्ट अतिथि के रूप में उनके जीवनसाथी के साथ आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर इस ऐतिहासिक स्मारक से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह पहल सरकार के जनभागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। इन विशिष्ट अतिथियों में 660 से अधिक जीवंत गांवों के 400 से अधिक सरपंच, किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़े 250 लोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 प्रतिभागी, नए संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़े 50 श्रमयोगी (निर्माण श्रमिक), 50-50 खादी कार्यकर्ता, सीमा पर स्थित सड़कों के निर्माण, अमृत सरोवर और हर घर जल योजना से जुड़े लोगों के साथ-साथ 50-50 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, नर्स और मछुआरे शामिल हैं।

सरकार ने इनमें से कुछ विशिष्ट अतिथियों को दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को दिखाने की व्यवस्था की है। साथ ही प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 75 जोड़ों को भी पारंपरिक पोशाक में इस समारोह को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है।

इस बार बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, विजय चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रगति मैदान, राजघाट, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, आईटीओ मेट्रो गेट, नौबत खाना और शीश गंज गुरुद्वारा सहित 12 स्थानों पर सरकार की विभिन्न योजनाओं को समर्पित सेल्फी प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। इस समारोह की कड़ी के रूप में रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में 15-20 अगस्त तक मायगव पोर्टल पर ऑनलाइन सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। लोगों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 12 में से एक या अधिक स्थानों पर सेल्फी लेने और उन्हें मायगव प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 12 विजेताओं का चयन किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

लाल किले में प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर दल में सेना, वायु सेना और दिल्ली पुलिस के एक-एक अधिकारी और 25 कर्मी व नौसेना के एक अधिकारी और 24 कर्मी शामिल होंगे। भारतीय सेना इस वर्ष समन्वय सेवा की भूमिका में है। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर बढ़ेंगे। वहां उनका स्वागत रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी करेंगे।

दिल्ली क्षेत्र के जीओसी प्रधानमंत्री को ध्वजारोहण के लिए प्राचीर पर बने मंच तक ले जाएंगे। मेजर निकिता नायर और मेजर जास्मीन कौर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री की सहायता करेंगी। इस दौरान पार्श्व पंक्ति विन्यास में भारतीय वायु सेना के दो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (मार्क-तृतीय) ध्रुव कार्यक्रम स्थल पर फूलों की वर्षा करेंगे। हेलीकॉप्टर के कैप्टन, विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा होंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के समापन पर राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट राष्ट्रगान गाएंगे। एक और बड़ा आकर्षण जी-20 का प्रतीक चिह्न होगा। इसे लाल किले पर फूलों की सजावट के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।

डिजिटल भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के यक्ष प्रश्न

नजरिया

-सुरेश सेठ

भारत में जब तरक्की, विकास और उपलब्धि की गणना होती है तो देश के बहुत कम समय में दुनिया में एक इंटरनेट शक्ति बन जाने की बात आती है। रिकॉर्ड समय में डिजिटल भारत बना दिया गया। अगर रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ब्राडबैंड डिजिटल प्रसार की बात होती है तो देश आज किसी भी नवसंचार चेतना के अग्रदूत से कम नहीं माना जाता है।

आजकल दुनियाभर में चैट जीपीटी का बोलबाला है। कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी ने इन्सान को इतनी कृत्रिम बौद्धिक शक्ति प्रदान कर दी है जिससे संकट पैदा हो गया है कि शायद उसे अब मौलिक चेतना और बौद्धिक विकास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हर प्रश्न का जवाब गढ़ा-गढ़ाया चैट जीपीटी पर हो तो कोई अपनी बुद्धि को कष्ट क्यों देगा यही नहीं, चैट जीपीटी को नेताओं को उनके भाषण, कवियों को उनकी कविताओं के उचित शब्द, नाटकों के संवाद और अध्यात्म के नये शब्द भी समझा सकती है। संकट पैदा हो गया कि अगर ऐसा हो गया तो प्रखर चेतना वाले इन्सान क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। क्या उनकी मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा के मुकाबले में यह यांत्रिक असाधारण क्षमता अवरोध बनकर खड़ी हो जाएगी क्या नेताओं के तेज-तर्रार भाषण, नाटकों के चुटीले संवाद, कविताओं के अगले तुक अब चैट जीपीटी देगा क्या इसकी गुणवत्ता सीमाहीन है। एक बार तो चैट जीपीटी की इस क्षमता ने सबको चौंका दिया।

बिल्कुल इसी तरह जैसे किंडल के आगमन ने पुस्तक की उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिए थे। कहा गया था कि अब पुस्तक का अस्तित्व मिट जायेगा व पत्र-पत्रिकाएं भी अप्रासंगिक हो जाएंगी जबकि ई-संचार माध्यम पर हर किताब, पत्रिका और हर समाचार उपलब्ध है। लेकिन यांत्रिकता तो यांत्रिकता होती है। अभी इसकी सीमा और संभावनाओं पर कई शोध भी होने लगे हैं।

पंजाबी यूनिवर्सिटी के पंजाबी विभाग के पंजाबी कंप्यूटर सहायता केन्द्र के अध्यापक ने एक शोध किया जिसने अलग-अलग भाषाओं में चैट जीपीटी की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगा दिए। नतीजा यह निकला कि अंग्रेजी से हटते ही क्षेत्रीय भाषाओं में एक तो इस सॉफ्टवेयर का अनुवाद मॉडल पूरी तरह से विकसित नहीं और दूसरी बात इसमें जितना गुड़ डालोगे, उतना ही मीठा होगा। अर्थात् पत्रकार और कवि आदि इंटरनेट पर ब्लॉग, विकिपीडिया और वेबसाइट्स पर जितनी अपनी रचनाएं और जानकारी साझा करेंगे उतना ही चैट जीपीटी की उड़ान भी चलेगी। शोधकर्ताओं ने बताया कि अन्य भाषाओं में पूछे गए छोटे उत्तरों वाले सवालों में अगर 80 फीसदी उत्तर सही आते हैं तो बड़े प्रश्न वाले उत्तर में 8 फीसदी तक ही उत्तर सही आ पाते हैं। इतिहास, सेहत, खेल, कंप्यूटर, गणित, करंट अफेयर, भाषा विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के प्रश्न-पत्र डालकर यह परीक्षा ली गई। पंजाबी व हिंदी-अंग्रेजी के 300 नमूनों के सवाल डाले गए। चैट जीपीटी ने 67 फीसदी, 80 फीसदी व 98 फीसदी अंक हासिल किए। इसी तर्ज पर पंजाबी भाषा के कंप्यूटर ज्ञान विषय में अकाल यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो में केवल 8 प्रतिशत अंक हासिल हुए। यह बात अन्य डिजिटल प्रयोगों में भी महसूस की गई है।

देखा गया है कि पंजाबी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के मॉडल पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। इंटरनेट पर पंजाबी की पाठ्य सामग्री की कमी के कारण पंजाबी के बड़े सवालों के जवाब में प्रदर्शन खराब हो जाता है। इसलिए अगर चैट जीपीटी को भारत के लिए उपयोगी बनाना है तो भारत की क्षेत्रीय भाषाओं व हिंदी और पंजाबी आदि में भी पूरा ज्ञान और पाठ्य सामग्री अपलोड करनी पड़ेगी, नहीं तो जवाब असंबद्ध आने लगेंगे। यही बात गूगल के प्रयोग में भी देखी गई है। गूगल का भी हर जवाब सही नहीं होता, अगर उसमें नवीनतम जानकारी नहीं डाली जाती है।

बेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों के लिहाज से पिछले दिनों में रोबोट का इस्तेमाल भी बहुत प्रचलित हुआ है लेकिन रोबोट भी दो तरह के देखे गए। एक तो वे रोबोट जिनको आप निर्दिष्ट निर्देशों का पालन करने के लिए सिखाते हैं। वे केवल उतना ही करते हैं जितना उनकी यांत्रिकता में शामिल है। अब कृत्रिम बुद्धि का समावेश भी रोबोट में करने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश जितनी सफलता हासिल कर सकेगी, उतना ही रोबोट हर क्षेत्र में उपयोगी होगा। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां आबादी 140 करोड़ के आसपास जाकर चीन को पछाड़ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने जा रही है, वहां आधुनिक रोबोट क्या इंसानी रोजगार की जगह नहीं ले लेंगे। पहले ही भारत में काम करने योग्य व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। उन्हें सरकारी अनुकम्पा और रियायती अनाज के सहारे जीना पड़ता है। अगर रोबोट का इस्तेमाल भारत में भी इसी तरह प्रचलित हो गया तो करोड़ों लोगों की यह श्रमशक्ति कहां जाएगी। क्या विदेश में पलायन होगा, जहां उनसे सस्ती दरों पर काम लिया जायेगा।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षितिज यहीं तक नहीं हैं। अभी नई दिल्ली में एक अभियान नीति आयोग ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से शुरू किया है। इसमें दिल्ली के हरेक पुस्तकालय की जानकारी पाठक को घर बैठे मिलेगी। पाठक को केवल इंडियन कल्चर पोर्टल पर लॉग इन करना पड़ेगा। चुनींदा लाइब्रेरियों की दुर्लभ किताबें उसके सामने खुलने लगेंगी। अभी यह शुरुआत सात लाइब्रेरियों से की गई है। इसमें 700 दुर्लभ किताबें शामिल हैं। संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव के मुताबिक, देशभर के सभी पुस्तकालयों, उनकी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक किताबों की विरासत, पांडुलिपियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी अभियान शुरू किया गया है। लेकिन यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कथन भी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए डिजिटलीकरण जरूरी है लेकिन क्या डिजिटलीकरण से ज्ञान सुलभ हो जाएगा क्या इसमें अध्यापक का मार्गदर्शन कोई मायने नहीं रखता जो विद्वान रास्ता दिखा सकते हैं, क्या यंत्र उसका विकल्प बन सकते हैं इंसान का विकल्प कभी यांत्रिकीकरण नहीं होता। हां, वह इन्सान का सहयोगी हो सकता है और इन्सान की पहुंच को बढ़ा सकता है। अभी भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए डिजिटल ब्रॉडबैंड की शक्ति प्रदान करने की घोषणा भी कर दी है। यानी गांवों के लोग भी डिजिटल दुनिया से जुड़ जाएंगे। लेकिन बेहतर होता कि उनकी आर्थिक सीमाओं, शिक्षा स्तर का भी ध्यान कर लिया जाता। यह भी कि इतने बड़े देश में पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए क्या मोबाइल टावरों की सुविधा हर जगह है। बेशक यह सवाल अभी अनुत्तरित है। लेकिन इस उड़ान का स्वागत तो होना ही चाहिए। उड़ान भरने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन उसको सभी पहलुओं के बारे में विचार करके ही भरना चाहिए। इसमें सही अध्यापकों का पथ प्रदर्शन, डिजिटल क्षमता के इस्तेमाल में निपुणता, प्रशिक्षण और कम लागत पर उपकरणों का वितरण भी तो उतना ही जरूरी है।

आजकल

विधेयक सवालों के घेरे में

संवैधानिक संस्थाओं की साख इस बात से बनती है कि वे कितनी स्वायत्त रह कर काम कर पाती हैं। उनके मुखिया किस तरह संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। मगर विडंबना यह है कि लंबे समय से कुछ संस्थाओं के कामकाज के तौर-तरीके पर अंगुलियां उठती रही हैं। उनके सरकार के पक्ष में झुक कर या उसके दबाव में काम करने के आरोप लगते रहे हैं। पिछले कुछ समय से निर्वाचन आयोग पर भी विपक्षी दल यही आरोप लगाते आ रहे हैं कि वह सरकार के इशारों पर काम करता है। ऐसे में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और वहां पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधान न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस व्यवस्था का चौतरफा स्वागत हुआ और उम्मीद बनी थी कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता आएगी, इस संस्था की साख फिर से लौटेगी। हालांकि संविधान पीठ ने यह व्यवस्था तभी तक के लिए दी थी, जब तक कि सरकार इस संबंध में संसद में कानून नहीं बना लेती। अब सरकार ने इससे संबंधित विधेयक राज्यसभा में पेश कर दिया है। इस विधेयक के पेश होते ही सरकार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विधेयक में प्रावधान प्रस्तावित है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक केंद्रीय मंत्री की समिति की सिफारिश पर की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय की दी हुई व्यवस्था में से प्रधान न्यायाधीश को हटा दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार जिसे चाहेगी, उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर लेगी। इस तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे आयुक्तों के सरकार के दबाव से मुक्त होकर काम करने पर संदेह बना रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन आयोग की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण होती है। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का झुकाव सरकार की तरफ होता है, तो चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है, जैसा कि पिछले कुछ चुनावों से आरोप लगते रहे हैं। सत्तापक्ष के प्रति नरमी और विपक्षी दलों के खिलाफ सख्ती के उसके पक्षपातपूर्ण फैसलों के अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की थी कि निर्वाचन आयोग में टीएन शेषन जैसे आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसे में जब सरकार ने अपने बहुमत का ध्यान रखते हुए विधेयक तैयार किया है, तो उस पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। यह तो ठीक है कि सर्वोच्च न्यायालय कानूनी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए करता और अपनी कोई व्यवस्था देता है। मगर वह व्यवस्था स्थायी नहीं होती, उसे संसद में कानूनी शक्ल देना पड़ता है। यह काम सरकार ही कर सकती है। ऐसे में अपेक्षा की जाती थी कि सरकार जनभावनाओं के मद्देनजर संविधान पीठ की दी हुई व्यवस्था को ही कानूनी जामा पहना देती।

नागरिक सुरक्षा और सरकार

मुद्दा

-डॉ. रमेश ठाकुर

चौदह चौदह अगस्त को 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा दिवस' है, जिसके मायने मानवीय जीवन के लिए बहुत खास हैं। तेज भागती जिंदगी और मशीनरी युग में दौड़ती इंसानी जीवनशैली में जोखिम की कमी नहीं है। किसी के साथ कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता नागरिक सुरक्षा दुरुस्त करना, चाहें राज्य की सरकारें हों या केंद्र सरकार, सबका पहला धर्म होता है कि वह अपने लोगों को सुरक्षा की गारंटी दें। इस दायित्व से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। समाज का जिम्मेदार नागरिक जब अपनी सरकार से किसी चीज की मांग करता है, उसके लिए उसे धरना, आंदोलन भी करना पड़ता है, तो उसका समाधान निकालना सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। पर, आज के वक्त में परिदृश्य बहुत बदल चुका है। नागरिक मांगों पर सरकारें मुंह फेरती हैं, सामाजिक मुद्दों को इग्नोर करती हैं। तब, ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर हुकूमतें गंभीर नहीं है। हुकूमतें ऐसा न करें, उसी को याद दिलवाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को 'राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा दिवस' मनाया जाता है।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा की गारंटी बदलते समय की जरूरत है, क्योंकि मानव वास्तविक रूप से एक अमूल्य सामाजिक जीवित प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसको एक नहीं, बल्कि अनेक जरूरतों का सामना करना पड़ता है। वह कभी दूसरों को आश्रय देता है, तो कभी स्वयं को भी दूसरों पर स्थितिवश आश्रित होना पड़ता है।

आधुनिक यांत्रिक युग में इंसान अनेक प्रकार की घटना-दुर्घटनाओं का शिकार होता रहता है। उन दुर्घटनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारें सामाजिक सुरक्षा की मुकम्मल गारंटी दें, क्योंकि वक्त जोखिमों से भरा है, कोरोना जैसी अचानक दस्तक देनी वाली जानलेवा बीमारी, प्रकृतिक आपदाएं, बेमौसम बारिश से प्रभावित होते किसान, बाढ़-बारिश से पीड़ित गरीब आदि को उभारने के लिए सामाजिक सुरक्षा का होना अब और जरूरी हो गया है।

बहरहाल, सबसे पहले हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक होने की जरूरत होती है। कई दफा ऐसे होता है जागरुकता के अभाव में हम अपने अधिकारों को भूल जाते हैं और शोषण का शिकार हो जाते हैं। नागरिक सुरक्षा के लिए कुछ अधिनियमों का प्रावधान है, जिन्हें सरकार ने ही बनाया है नागरिकों के लिए। जैसे, कर्मचारी प्रीविडेंट फंड अधिनियम, कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध, श्रमिक क्षतिपूर्ति संशोधित, प्रसूति लाभ अधिनियम, राज्य बीमा संशोधित अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध व्यवस्था अधिनियम, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम व सामाजिक सुरक्षा सर्टीफिकेट आदि, ये ऐसे अधिनियम हैं जिनमें सरकारें बंधी होती है। इन अधिनियमों के मुताबिक कानूनन सुरक्षा देना ही होता है। इनका जब उल्लंघन होता है तो लोगों को मजबूरन कोर्ट-कचहरी जाना पड़ता है। इसलिए सभी नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की दरकार है। इसलिए आज के दिवस के मायनों को जरूर समझें।

दरअसल, सामाजिक सुरक्षा का मूल विचार सामुदायिक आयोजन, सामुदायिक उत्तरदायित्व व नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों का सामुदायिक स्तर पर सुधारना होता है जिसमें गरीबी को हटाना, अभाव को मिटाना और जरूरतमंद व्यक्तियों के रहन-सहन के वांछित स्तर को ठीक करना होता है। हिंदुस्तान जैसे विकासशील और विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा विषय को गरीबी, बेरोजगारी तथा बीमारी का उन्मूलन दृष्टि से राष्ट्रीय योजना का अभिन्न व महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सरकारी विचारों से सुरक्षा का महत्व अधिक स्पष्ट होता है। सामाजिक सुरक्षा शब्द का उद्गम औपचारिक रूप से सन 1935 में हुआ, जब पहली बार अमेरिका में नागरिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का श्रीगणेश किया गया। तभी से बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था बीमा की समस्या का समाधान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का आरंभ हुआ। उसके कुछ वर्ष बाद ही अन्य मुल्कों ने इस मुहिम को अपनाना शुरू कर दिया।

नागरिक जीवन सुरक्षा के साथ एक उल्लंघन का ताजा मामला सामने है। परसों की ही बात है, यानी 12 अगस्त को चेन्नई की एक अदालत ने प्रसिद्ध अभिनेत्री व राजनेता जया प्रदा को छह महीने की जेल की सजा और पांच हजार का जुर्माना ठोका। आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों कर्मचारियों का पैसा 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' के खाते में जमा नहीं किया। दरअसल, चेन्नई में जया प्रदा एक सिनेमाघर की मालकिन थी जिसमें सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत थे। सिनेमाहाल किन्हीं कारणों से चला नहीं, तो उसे जया प्रदा ने अचानक बंद कर दिया और कर्मचारियों को उनके बीमे का पैसा भी नहीं दिया, जिसको लेकर पीड़ित कर्मचारी कोर्ट पहुंचे, जिस पर बीते शनिवार को फैसला आया और अभिनेत्री को सजा सुनाई गई, हालांकि उसके बाद वह पैसा देने को राजी हुई हैं। सवाल ये है ऐसी नौबत क्यों आने दी समय रहते नागरिक सुरक्षा का ख्याल क्यों नहीं किया कर्मचारियों को उनकी मेहनत का पैसा अगर पहले ही दे दिया होता, तो ये नौबत न आती। यह ताजा मामला नजीर साबित हो, ताकि कोई भी धनाढ्य व्यक्ति किसी के साथ नागरिक सुरक्षा का ऐसा उल्लंघन न कर पाए।